प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

दोषमुक्ति अपील संख्या 137/2018

छत्तीसगढ़ राज्य, प्रभारी पुलिस थाना के द्वारा, खडगवा, जिला कोरिया (छ.ग.)

---अपीलकर्त्ता

बनाम

रामचंद्र साहू @कौवा पिता महाबीर साहू, 45 वर्ष, निवासी गाँव बड़े साल्ही, पुलिस थाना खडगवा, जिला कोरिया (छ.ग)।

---उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी/राज्य हेतु:--श्री अर्पित अग्रवाल, पैनल अधिवक्ता

उत्तरवादी हेतु :-- श्री दिव्यानंद पटेल,अधिवक्ता तथा श्री ऋषिकांत महोबिया अधिवक्ता

युगलपीठ :--

माननीय श्री संजय एस. अग्रवाल, न्यायाधीश

तथा

माननीय श्री राधाकिशन अग्रवाल,न्यायाधीश

पीठ पर निर्णय

संजय एस. अग्रवाल न्यायाधीश के अनुसार,

10/07/2025

1) यह अपील अपीलकर्ता/राज्य द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है,

जिसमें विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत) बैकुंठपुर, जिला कोरिया (छ.ग.) द्वारा विशेष सत्र विचारण संख्या 11/2016 में दिनांक 17/03/2017 को पारित निर्णय की वैधता एवं औचित्य पर प्रश्न उठाया गया है, जिसके द्वारा उत्तरवादी को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (जिसे आगे "अत्याचार अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 3(2)(v) के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(1) के अंतर्गत दंडनीय अपराध से दोषमुक्त कर दिया गया है।

2) संक्षेप में, अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि दिनांक 08/12/2015 को अभियोजन पक्ष द्वारा कोरिया जिले के पुलिस स्टेशन खड़गवा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि घटना दिनांक अर्थात 06/12/2015 को लगभग 11:00 बजे, जब वह 'चोपन जंगल' से लकड़ियाँ इकट्ठा कर रही थी, तब उत्तरवादी/अभियुक्त- रामचंद्र साहू उर्फ कौवा वहाँ पहुँचा और उसे पकड़कर 'रतनजोत जंगल' की ओर ले गया और उसके साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाए और, वहाँ मौजूद मनकुंवर मरकाम नामक व्यक्ति ने, जो अपनी बकरियाँ घुमा रहा था, प्रत्यर्थी को उसे जंगल की ओर ले जाते हुए देखा।यह भी आरोप लगाया गया है कि उसने कथित घटना के बारे में अपनी माँ को बताया, जब वह उसे खोजते हुए वहाँ पहुँची तथा उसके बाद अपने पिता को भी अभिकथित तथ्य से अवगत कराया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3) उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर, उत्तरवादी के खिलाफ अपराध क्रमांक 210/2015 के संबंध में संबंधित पुलिस स्टेशन द्वारा 08/12/2015 को एक एफआईआर (एक्स.पी-3) दर्ज की गई थी, जिसमें आईपीसी की धारा 376 के साथ अत्याचार अधिनियम की धारा 3(1) (xii) और 3(2)(v) के तहत दंडनीय अपराध का उल्लेख था और अन्वेषण के दौरान, अभियोक्ता की जांच डॉ. राजश्री सिंह (पीडब्लू-6) द्वारा 08/12/2015 को की गई, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट (एक्स.पी-6) प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने कहा कि वह मानसिक रूप से बीमार है और उसने जबरदस्ती यौन संभोग के लक्षण देखे हैं, जो उसके साथ 48-72 घंटों के भीतर किया गया था और एसटीडी, एचआईवी और उसकी मानसिक स्थिति की पुष्टि के लिए, उसे जिला अस्पताल, बैकुंठपुर में रेफर किया गया था और उक्त परीक्षण राज्य मानसिक अस्पताल, सेंदरी, बिलासपुर के डॉ. सतीश श्रीवास्तव (पीडब्लू-9) द्वारा किया गया था, अपनी रिपोर्ट (प्रत्यक्ष पी-11) के माध्यम से पाया कि वह हल्के मानसिक मंदता (नैदानिक रूप से मनोविकृति के साथ) से पीड़ित है। और, अभियोक्ता के अंतर्वस्त्र को दिनांक 08/12/2015 को प्रत्यक्ष पी-13 के माध्यम से उसकी स्लाइडों सहित ज़ब्त कर लिया गया, जबकि प्रतिवादी/अभियुक्त के अंतर्वस्त्र दिनांक 09/12/2015 को प्रत्यक्ष पी-14 के माध्यम से और, दिनांक 18/12/2015 के ज्ञापन (प्रत्यक्ष पी-5) के माध्यम से रासायनिक परीक्षण के लिए भेजे गए और तदनुसार, एफएसएल रिपोर्ट (प्रत्यक्ष पी-19) रिकॉर्ड में दर्ज की गई, जिसमें अभियोक्ता के साथ-साथ प्रतिवादी/अभियुक्त के अंतर्वस्त्रों पर मानव शुक्राणु पाया गया, लेकिन यह सीरोलॉजिकल परीक्षण के लिए पर्याप्त नहीं पाया गया। सामान्य अन्वेषण पूरी करने के बाद, विशेष न्यायाधीश, बैकुंठपुर के समक्ष आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया, जहां प्रतिवादी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(एल) सहपठित अत्याचार अधिनियम की धारा

3(2)(वी) के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोप निर्धारित किया गया है और, इस प्रकार तय किए गए आरोपों को उसके द्वारा अस्वीकार कर दिया गया और वाद चलाने का दावा किया गया।

4) उत्तरवादी के अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 12 साक्षीयों का परीक्षण किया गया और 19 दस्तावेज पेश किए, जबकि उत्तरवादी ने अपने बचाव में किसी से भी परीक्षण नहीं की।

5) अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करने के बाद, विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभियोजन पक्ष यह तथ्य स्थापित करने में विफल रहा है कि कथित कृत्य उत्तरवादी द्वारा अभियोक्ता के साथ किया गया था और तदनुसार, उसे कथित अपराध करने से दोषमुक्त कर दिया गया है और, व्यथित होने के कारण, तत्काल अपील प्रस्तुत की गई है।

6) अपीलकर्ता/राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष, जिसमें कहा गया है कि प्रतिवादी कथित अपराध के संबंध में शामिल नहीं है, स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्रियों के विपरीत है, क्योंकि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, विशेष रूप से अभियोक्ता (पीडब्लू-1), उसके माता-पिता (पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3) के बयान, एफएसएल रिपोर्ट (एक्स.पी-19) के साथ-साथ, जहां अभियोक्ता के साथ-साथ प्रतिवादी के अंतःवस्त्रों पर मानव शुक्राणु पाए गए थे, को उचित तरीके से स्कैन नहीं किया गया है और इस प्रकार, उसे कथित अपराध से दोषमुक्त करने में गलती हुई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7) दूसरी ओर, उत्तरवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री दिव्यानंद पटेल ने अभियोजन पक्ष (पीडब्लू-1) और उसके माता-पिता (पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3) के बयानों का उल्लेख करते हुए तर्क दिया है कि इनमें से किसी भी साक्षी ने कहीं भी यह नहीं कहा है कि कथित कृत्य उत्तरवादी द्वारा उसके साथ किया गया था।यह भी तर्क दिया गया है कि जब उसके साथ कथित कृत्य किया गया था, तब मनकुंवर मरकाम नामक व्यक्ति मौजूद था, लेकिन उसकी न तो जांच की गई और न ही दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 53-ए के तहत आवश्यक डीएनए प्रोफाइल परीक्षण कराया गया, इसलिए, विचारण न्यायालय ने उसे कथित अपराध के लिए दोषमुक्त करने में कोई अवैधता नहीं की है।समर्थन में, **उन्होंने कृष्ण कुमार मलिक बनाम हरियाणा राज्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों पर भरोसा जताया, (2011) 7 एससीसी 130 में रिपोर्ट किया गया।**

8) हमने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना है और संपूर्ण अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है।

9) अभिलेख के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तरवादी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(1) सहपठित अत्याचार अधिनियम की धारा 3(2)(v) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के संबंध में आरोप-पत्र दाखिल किया गया है। यह घटना 06/12/2015 को घटित हुई थी, जब अभियोक्ता 'चोपन जंगल' से लकड़ियाँ इकट्ठा

कर रही थी, जहाँ उत्तरवादी /अभियुक्त-रामचंद्र साहू उर्फ कौवा आया और उसे पकड़ लिया तथा उसके साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाए।

10) कथित तथ्य को स्थापित करने के लिए, अभियोक्ता की पी.डब्लू.-1 के रूप में जांच की गई और उसकी कथन से यह पता चला कि उक्त दुर्भाग्यपूर्ण दिन पर, वह उत्तरवादी- रामचंद्र साहू से नहीं मिली थी और उसने आगे यह भी बयान दिया कि, अपने माता-पिता के निर्देशानुसार, उसने कथित रिपोर्ट (एक्स.पी.-3) दर्ज कराई थी और कंडिका 7 में आगे यह भी कथन दिया कि उत्तरवादी ने उसके साथ यौन संबंध नहीं बनाए हैं।उसके पिता की पीडब्लू-2 के रूप में परीक्षा की गई और उनके अनुसार, उनकी पत्नी ने उन्हें बताया कि उनकी पुत्री को उत्तरवादी द्वारा घसीटा गया है और उन्होंने आगे यह भी बयान दिया कि कथित घटना के संबंध में उनकी पुत्री ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया और उन्होंने जो कुछ भी अपनी पत्नी से प्राप्त किया है, वही बताया है।उसकी पत्नी (पीडब्लू-3) के बयान के अनुसार, यह पता चलता है कि उसे मनकुंवर मरकाम नामक व्यक्ति ने बताया था कि उसकी पुत्री को उत्तरवादी रामचंद्र साहू ने घसीटा है, लेकिन अभियोजन पक्ष को ही ज्ञात कारणों से, मुख्य गवाह, उससे (मनकुंवर मरकाम) पूछताछ नहीं की गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11) यह भी देखा जाना चाहिए कि यद्यपि, उसके (पीडब्लू-3) द्वारा यह कहा गया था कि उसकी पुत्री ने उसे बताया था कि उत्तरवादी ने उसके साथ यौन संबंध बनाए हैं और उस पर हमला भी किया है और उसने उसके गालों पर चोटें देखी हैं, लेकिन, उसकी प्रतिपरीक्षा से, विशेष रूप से कंडिका 9 से, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिपरीक्षा के साथ उसकी पहले से दुश्मनी थी और यही कारण था कि उसने उसके खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई।

12) अभियोक्ता और उसके माता-पिता द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त साक्ष्य के अवलोकन से, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, तथा उक्त मनकुँवर मरकाम की गैर-परीक्षा के संबंध में, यह मानना कठिन है कि उक्त दुर्भाग्यपूर्ण दिन, अर्थात् 06/12/2015 को प्रातः 11:00 बजे, अभियोक्ता के साथ उत्तरवादी द्वारा कथित कृत्य किया गया था।

13) अभिलेख के अवलोकन से यह भी पता चलता है कि कथित घटना के कारण अभियोक्ता का अंतर्वस्त्र 08/12/2015 को जब्ती ज्ञापन (एक्स.पी-13) के तहत बरामद किया गया था, जबकि प्रतिवादी का अंतर्वस्त्र एक्स.पी-14 के तहत 09/12/2015 को बरामद किया गया था और उसे मेमो दिनांक 18.12.2015 (एक्स.पी-5) के तहत रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा गया था और एफएसएल रिपोर्ट (एक्स.पी-19) को अभिलेख पर रखा गया था, जो दर्शाता है कि अभियोक्ता के साथ-साथ प्रतिवादी से बरामद कथित अंतर्वस्त्रों पर मानव वीर्य पाया गया था।यद्यपि, एफएसएल रिपोर्ट (एक्स.पी-19) कथित तथ्य को उजागर करती है, लेकिन, यह पता लगाने के लिए कि क्या प्रतिवादी का कथित वीर्य अभियोक्ता के कथित लेख पर पाया गया था या यह मेल खाता था, तथापि, इसे अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित नहीं किया गया था, जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 53-ए के तहत आवश्यक है और कृष्ण कुमार मलिक (सुप्रा) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय

द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के मद्देनजर, जैसा कि प्रतिवादी के लिए उपस्थित विद्वान वकील श्री पटेल द्वारा भरोसा किया गया था, जिसमें कंडिका-44 में इसे निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था:---

44. "अब, उत्तरवादी राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा हमारे संज्ञान में लाए गए दंड प्रक्रिया संहिता में 23.06.2006 से धारा 53-ए के शामिल किए जाने के बाद, अभियोजन पक्ष के लिए ऐसे मामलों में डीएनए परीक्षण करवाना आवश्यक हो गया है, जिससे अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के विरुद्ध अपना मामला साबित करने में सुविधा होगी।2006 से पहले, दंड प्रक्रिया संहिता में उपरोक्त विशिष्ट प्रावधान के बिना भी, अभियोजन पक्ष अभी भी डीएनए परीक्षण या विश्लेषण करवाने और अपीलकर्ता के वीर्य का मिलान अभियोक्ता के अंतर्वस्त्रों पर पाए गए वीर्य से करने की इस प्रक्रिया का सहारा ले सकता था ताकि यह एक पुख्ता मामला बन सके, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे।"

14) उपर्युक्त सिद्धांत को वर्तमान मामले में लागू करते हुए, तथा सीआरपीसी की धारा 53-ए के तहत अपेक्षित उत्तरवादी के डीएनए परीक्षण के अभाव में, कथित एफएसएल रिपोर्ट (एक्स.पी-19) पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है, तथा इसलिए, विचारण न्यायालय ने उत्तरवादी को कथित अपराध के लिए दोषमुक्त करने में कोई अवैधता नहीं की है, जिससे इस अपील में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।

15) तदनुसार, अपील, योग्यता से रहित होने के कारण, खारिज की जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
(संजय एस. अग्रवाल)
न्यायाधीश

सही/-
(राधाकिशन अग्रवाल)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur